न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र :- 25/15 प्रवेश दिनांक :- 18-02-2015

...:-

...मवती पुत्री स्व0 फूलू पत्नी श्री गुलशन जाति चमार निवासी ग्राम धोलीपहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल आबाद किशनगढ-बास जिला अलवर (राज0)

...भो पुत्री स्व0 फूलू पत्नी श्री बिशम्बर जाति चमार निवासी ग्राम धोलीपहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल आबाद बासडा रोड, किशनगढ-बास जिला अलवर (राज0)

...मला पुत्री स्व0 फूलू पत्नी श्री हरदेवा जाति चमार निवासी ग्राम धोलीपहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल आबाद अकनाका, तहसील फिरोजपुर जिला नूँह मेवात (हरि0)

...फूलवती पुत्री स्व0 फूलू पत्नी श्री तुलाराम जाति चमार निवासी ग्राम धोलीपहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल आबाद मुबारिकपुर, तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)

----:: प्रार्थीगण

बनाम

01. रामसिंह
02. रोशनलाल
03. जयसिंह पुत्रान स्व0 फूलू जातियान चमार निवासीगण ग्राम धोलीपहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. नरपाई पत्नी फतेहसिंह
05. इमरती पत्नी प्रहलाद जाति खटीक निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
06. फतेहसिंह
07. प्रहलादसिंह पुत्रान नथोलीराम जाति खटीक निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
08. इमरती देवी पत्नी महावीर
09. सुरेश पत्नी रघुवीरसिंह जाति कोली निवासीगण रायसीना तहसील सोहना जिला गुडगांवा (हरि0)

-----:: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :- 21.03.2016

-:: निर्णय ::-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा 151 जा0 ... निम्न प्रस्तुत है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 930 रकबा 0.23 है0, 931 रकबा 0.25 है0, 933 रकबा 0. ...है0, 927 रकबा 0.35 है0, 928 रकबा 0.38 है0, 929 रकबा 0.23 है0, 932 रकबा 0.61 है0, 934 रकबा 0.35 ... 938 रकबा 0.04 है0, 939 रकबा 0.04 है0, 940 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम धौली पहाडी तहसील तिजारा ... अलवर में स्थित है। जो इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगें। वास्तुत मुलाहिजा जमाबन्दी ... 2046 व इंतकाल संख्या 410 दिनांक 16.04.1993, हाल जमाबन्दी संख्या 2070 लगायत 2073 की फोटो ... संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के पिता

60

पुत्र खैराती की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जो कि अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल
थी। मिन प्रार्थीगण के पिता के मरने के बाद मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 काबिज व दाखिल
है और मिन प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी अपने पिता फूलू से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित
आराजी मिन प्रार्थीगण को अपने पिता को विरासत से प्राप्त हुई है तथा मिन प्रार्थीगण को प्रत्येक का 1/8,
1/8, 1/8, 1/8 भाग यानि 1/2 भाग तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/8, 1/8, 1/8
तथा मिन प्रार्थीगण की माता चमेली का 1/8 भाग निहित था और मिन प्रार्थीगण अपने भाग पर काबिज व
दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है और मौके पर वास्तविक कब्जा है तथा अपनी ससुराल से
आकर अपने हिस्से की जमीन पर सार सम्भाल करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जो कि
परिवार के पुरूष सदस्य है और परिवार के कर्ता थे और जिन्होने बडी चालाकी व होशियारी से मिन प्रार्थीगण
के हकूकों को जायल करने की गरज से तथा हमारी माता से मिलीभगत कर अकेले अपने नाम व हमारी माता
चमेली के नाम विरासत इंतकाल संख्या 410 दर्ज दिनांक 16.04.1993 व मिलकपुर कैम्प में स्वीकार दिनांक 18.
05.1993 को बाला बाला दर्ज करा लिया और जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने नहीं होने दी
तथा मिन प्रार्थीगण को विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय ग्राम पंचायत मिलकपुर कैम्प द्वारा ना तो कोई
नोटिस दियाउ गया और ना ही सुना गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से आपस में साज बाज होकर
विरासत इंतकाल दर्ज करा लिया है, जो ऐबीशिनियों वाईड है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा
0.23 है0, 931 रकबा 0.25 है0, 933 रकबा 0.53 है0 का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा हमारी माता चमेली
ने अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 9 को विधि विरूद्व से बेचान कर दिया तथा आराजी खसरा नम्बर 927 रकबा
0.35 है0, 928 रकबा 0.38 है0, 929 रकबा 0.23 है0, 932 रकबा 0.61 है0, 934 रकबा 0.35 है0, 938 रकबा 0.
04 है0, 939 रकबा 0.04 है0 का बेचान अप्रार्थी संख्या 3 व हमारी माता चमेली ने विधि विरूद्व तरीके से
अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को कर दिया तथा आराजी खसरा नम्बर 940 रकबा 1.32 है0 में से अप्रार्थी संख्या 1
तथा अप्रार्थी संख्या 3 व हमारी माता ने विधि विरूद्व तरीके से बेचान अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को कर दिया एवं
मिन प्रार्थीगण की माता चमेली का देहान्त हो चुका है। तथा अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी में इन्द्राजात आया
है, वह मिन प्रार्थीगण के हिस्से तक बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन प्रार्थीगण गलत
विरासत इंतकाल व उसके आधार किये गये बेचान को इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाया जाकर
उक्त विरासत इंतकाल संख्या 410 को निरस्त कराकर जमाबन्दीयात व ताहाल जमाबन्दी तक अप्रार्थीगण के
नाम आये मिन प्रार्थीगण प्रत्येक के 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिस्से यानि 1/2 भाग तक दुरूस्त कराकर
गलत अमल हजफ कराकर डिकी इश्तकरारहक डिकी प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा राजस्व रिकार्ड
जमाबन्दी में अपने नाम का अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है। मिन प्रार्थीगण विवादित आराजी में अपने
हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1
लगायत 3 आये रोज मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहे है। इसलिए मिन प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के मध्य
बंटवारा नहीं हुआ है। मिन प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी में प्रत्येक इन्च भू भाग पर काबिज व दाखिल
है तथा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। इसलिए मिन प्रार्थीगण बाद इश्तकरारहक डिकी
अपने अपने 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 यानि 1/2 भाग का कुर्रेजात कायम कराकर अपने वास्तविक भाग का
तकासमा करवाकर दखल पाने की अधिकारिणी है। उक्त गलत इन्द्राजात की मिन प्रार्थीगण को पूर्व में कोई
जानकारी नहीं थी। मिन प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज व दाखिल रही है और मिन प्रार्थीगण

हिस्से की आराजी के लिए कृषि कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 11.12.2014 जमाबंदी की नकुलात लेने गई तो इस गलत अमल की जानकारी सामने आई। जिस पर समस्त राजस्व की नकुलात ली और कानूनी राय मशवरा कर अप्रार्थीगण समस्त से दिनांक 01.01.2015 को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थीगण ने दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया और मिन प्रार्थीगण को उनके हिस्से कसे जबरन बेदखल कर उक्त विवादित आराजी को बेचान करने की धमकी दी व प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा की। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी विरासत से प्राप्त हुई आराजी से महरूम होना पडेगा और खातेदारी की आराजी से वंचित होकर दीगर मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा। इसलिए मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें कि ताफैसला दावा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 930 रकबा 0.23 है0, 931 रकबा 0.25 है0, 933 रकबा 0.53 है0, 927 रकबा 0.35 है0, 928 रकबा 0.38 है0, 929 रकबा 0.23 है0, 932 रकबा 0.61 है0, 934 रकबा 0.35 है0, 938 रकबा 0.04 है0, 939 रकबा 0.04 है0, 940 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम धौली पहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है, से प्रार्थीगण को उनके भाग से जबरन बेदखल ना करें, ना कब्जा काश्त की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही गलत तरीके से की आई में किसी दीगर जगह रहन–बैय हिबा आदि से मुन्तकिल करें, ना ही दान देवें, ना ही तामीरात करें, ना ही प्रार्थीगण को आने जाने में कोई रूकावट पैदा करें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 930 रकाब 0.23 है0, 931 रकबा 0.25 है0, 933 रकबा 0.53 है0, 927 रकबा 0.35 है0, 928 रकबा 0.38 है0, 929 रकबा 0.23 है0, 932 रकबा 0.61 है0, 934 रकबा 0.35 है0, 938 रकबा 0.04 है0, 939 रकबा 0.04 है0, 940 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम धौली पहाडी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थीगण ने बेजा तौर से उक्त आराजीयात को विवादित बनाया है। वाद में वर्णित आराजी फूलू पुत्र खैराती की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। उनके मरने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 काबिज व दाखिल हुये। प्रार्थीगण कभी भी वाद मे वर्णित आराजीयात पर काबिज नहीं रहे है, ना ही प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार है। प्रार्थीगण कभी भी उक्त आराजीयात पर काबिज वो काश्त नहीं रहे है और ना ही उक्त जमीन की सार संभाल की है। विरासत इंतकाल 410 बाबत कहानी जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। लेकिन इंतकाल संख्या 410 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व इनकी माता श्रीमती चमेली के नाम दर्ज हुआ व मंजूर हुआ है तथा आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.23 है0, 931 रकबा 0.25 है0, 933 रकबा 0.53 है0 को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 एवं इनकी माता श्रीमती चमेली देवी ने अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 9 को विधिक तरीके से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के बेचान किया है तथा आराजी खसरा नम्बर 927 रकबा 0.35 है0, 928 रकबा 0.38 है0, 929 रकबा 0.23 है0, 932 रकबा 0.61 है0, 934 रकबा 0.35 है0, 938 रकबा 0.04 है0, 939 रकबा 0.04 है0 का बेचान अप्रार्थीगण संख्या 3 व श्रीमती चमेली देवी ने विधिक तरीके ये जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 को किया है तथ आराजी खसरा नं0 940 रकबा 1.32 है0 में से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 एवं श्रीमती चमेलीदेवी ने विधिक तरीके से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 को बेचान किया है। प्रार्थीगण इश्तकरारहक की डिकी प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है, ना ही

जमाबन्दीयात में स्वयं का नाम का अमल दरामद कराने की अधिकारणी है। प्रार्थीगण वाद में कर कभी भी काबिज वो काश्त नहीं रही है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थीगण में मजाहमत व मदाखलत पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण तकासमा पाने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 11.12.2014 व 01.01.2015 की कहानी झूठी दर्ज की है। प्रार्थीगण को उक्त अमल इंतकाल संख्या 410 व उसके पश्चात बेचान व में हम अप्रार्थीगण के नाम के अंकन की जानकारी पूर्व से ही बखूवी थी क्योंकि प्रार्थीगण ने .09.2007 को एक अपील संख्या 11/88/07 बअनुवान कमला वगैहरा बनाम रामसिंह वगैराह श्रीमान् अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के यहां पर दायर की थी, जिसमें जानकारी दिनांक 10. दर्ज की है। उक्त अपील दिनांक 31.03.2008 को खारिज हुई। जिसकी अपील प्रति व निर्णय की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उक्त वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य हम अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारणी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 410 ग्राम धोलीपहाडी की अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के यहां पर दायर की थी, जिसमें जानकारी दिनांक 10.09.2007 है। उक्त अपील दिनांक 31.03.2008 को खारिज हुई। इस प्रकार विवादित आराजी के संबंध में कारान को सुना जाकर प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.16 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.03.16

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)